

परिशिष्ट

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम
का संक्षिप्त विवरण।

जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के
अंतर्गत कर्नाटक खोला से ~~खोला~~ पाली एवं
सरकार की आली को जोड़ते हुए विकास भवन
तक सड़क निर्माण का कार्य। लम्बाई 3.00
कि०मी०

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि
और उसके आस-पास के वनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

पट्टावली में संलग्न है

ग) परियोजना की लागत।

297.84 लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर सर्वेक्षण
किया गया तकनीकी दृष्टि से वैकल्पिक स्थान
निरस्त किये गये।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये
जाने के लिए)

लागू नहीं

च) रोजगार जिनके पैदा होने की
संभावना है।

कुटीर उद्योग/फल सब्जी/अन्य रोजगार

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार
विवरण।

सिविल वेनाप भूमि	—	0.925 है०
नाप भूमि	—	1.987 है०
कुल भूमि	—	2.912 है०

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का
विवरण, यदि कोई है

किसी भी परिवार को नहीं हटाया जाना।

क) परिवारों की संख्या

शून्य

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के
परिवारों की संख्या

शून्य

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने
के लिए)

लागू नहीं है।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?
(हां/नहीं)
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये) निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

नहीं

संलग्न है।

संलग्न है।

दिनांक.....

स्थान.....

(ई0 विजय कुमार)
अधिसूची अभियन्ता,
प्रांतीय खण्ड, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा,
प्रमोडा,

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)